

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया
राजस्व प्रार्थना पत्र 123/2018

1. भवरलाल पुत्र बनवारीलाल
2. महरवीर पुत्र बनवारीलाल
3. राधेश्याम पुत्र बनवारीलाल
4. धनश्याम पुत्र बनवारीलाल

सभी जाति साधू निवासी फतेहगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर ।प्रार्थी
बनाम

1. कैलाश पुत्र हीरालाल जाति नाई ।
2. जमनालाल पुत्र मिश्री जाति जाट ।
3. मदनलाल पुत्र रामेश्वर जाति साधु।
4. हरजी पुत्र बालूराम जाति भील ।
5. दीपराज पुत्र गोपाल जाति जाट सभी निवासी फतेहगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर ।
6. रामदेव पुत्र केला जाति जाट निवासी बेगलियावास तहसील मसूदा जिला अजमेर ।
7. मांगीलाल पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी बेगलियावास तहसील मसूदा जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर ।अप्रार्थीगण

राजस्व पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एव 111 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम फतेहगढ पटवार हल्का लाम्बा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 62/1 रकबा 01-10-00 व 75 रकबा 08-10-00 व 76 रकबा 00-10-00 व 185 रकबा 01-08-00 व 553 रकबा 00-15-00 व 557 रकबा 01-16-00 व 560 रकबा 01-07-00 व 38 रकबा 01-16-00 व 40 रकबा 02-10-00 बिस्वा उनकी खुदकाशत से संयुक्त खातेदारी की भूमियां हैं जिनमें पडौसी काशतकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते हैं अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम फतेहगढ पटवार हल्का लाम्बा की जमाबंदी संवत् 2068-71 के खाता संख्या 150 में खसरा नम्बर 62/1 रकबा 01-10-00 व 75 रकबा 08-10-00 व 76 रकबा 00-10-00 व 185 रकबा 01-08-00 व 553 रकबा 00-15-00 व 557 रकबा 01-16-00 व 560 रकबा 01-07-00 व खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 38 रकबा 01-16-00 व 40 रकबा 02-10-00 बिस्वा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते हैं कि -

आदेश

तहसीलदार मसूदा को ग्राम फतेहगढ पटवार हल्का लाम्बा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 62/1 रकबा 01-10-00 व 75 रकबा 08-10-00 व 76 रकबा 00-10-00 व 185 रकबा 01-08-00 व 553 रकबा 00-15-00 व 557 रकबा 01-16-00 व 560 रकबा 01-07-00 व 38 रकबा 01-16-00 व 40 रकबा 02-10-00 बिस्वा में मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।



(मोहनलाल खटनावलिया)
(महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा
मसूदा (अजमेर) राज.

